हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश। अभिभाषक उपस्थित अभिभाषक ने निवेदन किया कि समय प्रार्थना की हमारा निवेदन मान लेवे। तथा हाजिर करना हो जावे। वकील/अभिभाषक के निवेदन पर मूल करना हो गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27.7.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	
27.7.21 पत्रावली पेश। अभिभाषक उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आदेश पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मियाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

3. यह है कि उक्त आवेदन-पत्र सरकार जरिए तहसीलदार खींवसर द्वारा पेश किया जा रहा है जिनको आर.टी. एक्ट की धारा 177 (4) के तहत कोर्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास राजकेश मीना आर.ए.एस

स्व वाद संख्या :– 24/2011

र्वी:–

स्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

बनाम

र्थी :–

श्री कालूराम पुत्र पाचांराम जाति मेघवाल निवासी ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर

ोल पक्षकारान
प्रार्थी वकील :– राजपेरोकार
अप्रार्थी वकील :– –

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांकः 25.07.2018

राजपेरोकार ने अप्रार्थी के विरूद्व राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 (1) आर.टी.एक्ट के तहत ी समाप्त करने के लिए पेश की। उक्त प्रकरण का सक्षिप्त सार इस प्रकार है की :–

सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर ने अप्रार्थी के विरूद्व राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 क्ट के तहत प्रस्तुत हुआ। सरकार जरिए तहसीलदार खींवसर ने अप्रार्थी श्री कालूराम पुत्र जाति मेघवाल निवासी ताडावास तहसील खीवंसर जिला नागौर के विरूद्व अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ताडावास के खेत ख.न. 585,603 9.00, 15.05 बीघा किस्म बारानी–3 की प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है ।

उक्त आराजी जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमान स्यही से डॉट डॉट से चिंहित से अवेध क्या हुआ है से अवैध खनन कर पत्थर निकालकर गहरे खडडे कर कृषि कार्य से अकृषि उपयोग किया जा रहा है तथा कृषि भूमि की कृषि गुणवता समाप्त की जा रही है। प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी निरस्त कर बेदखल करने की डिकी फरमाई जावें।
उक्त प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस जारी कर प्रतिवादीगण को जबाब प्रा.पत्र हेतु तलब ग्रा । प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजुद उप. नहीं होने पर रूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई दौराने कार्यवाही अप्रार्थी ने श्री शंकर रंगप्पा पुत्र रंगप्पा भाजन्तरी जाति कोरमा निवासी मुदापुर तहसील मुदोल जिला बागलकोट को बैचान करने से राजपेरोकार के निवेदन से इन्हे अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया। इन्हे जेस्टेट नोटिस भेजा गया मगर न्यायालय नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर इनके क पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
र्यवाही राजपेरोकार ने कथन किया की उक्त वाद को हमारी शहादत माना जावें।
जपेरोकार के निवेदन पर राजपेरोकार की एक पक्षीय बहस को सुना गया ।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

राजपेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया की मौजा भेड़ के प्रतिवादीगण के खेत ख.न. 03 रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी–3 में से (जो नजरी नक्शे में डॉट डॉट के अंकित से) जगह जगहं से अवैध खनन कर सम्पूर्ण कृषि भूमि की गुणवता को समाप्त कर कृषि का खुलमखुला उलंघन कर रहे है नजरी नक्शे में अंकित स्थान की आराजी में बड़े बड़े गहरे कर अवैध खनन किया जिसके खडे विधमान है । जो गिरदावरी की नकल से साबित होता है गहरे खडे कृषि भूमि में से खनिज पदार्थ का अवैध रूप से दोहन करने पर बने है जो मौके जुद है। उक्त अवैध खनन का मलबा शेष कृषि भूमि में डालकर अपनी सम्पूर्ण आराजी को योग्य बना दिया है। जबकी नियमानुसार खातेदार को अपनी कृषि भूमि की खातेदारी आराजी कोई भी किसी प्रकार का खनिज पदार्थ निकालने का किसी भी खातेदार को कोई अधिकार उक्त खातेदारी की आराजी को केवल मात्र कृषि कार्य के लिये ही उपयोग हेतु काम लिया कता है अगर कृषि भूमि का किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग लेना हो तो, इस हेतु राज्य सरकार ज्ञा लेना अतिआवश्यक है। मगर उक्त खनिज पदार्थ को निकालने में अप्रार्थी ने राज्यसरकार ज्ञा लेना मुनासीब नहीं समझा और बगैर आज्ञा के कृषि भूमि में से खनिज प्रदार्थ का दोहन जारी रखा। राजपेरोकार का यह भी कथन था की खातेदार कृषि भूमि में से किसी प्रकार का ो खनिज पदार्थ का दोहन राज्य सरकार की बगैर अनुमति के नहीं निकाल सकते। मगर फिर ार्थी के द्वारा उक्त आराजी में से अधांधुन अवैध खनन कर सम्पूर्ण आराजी को खोखला कर मि की गुणवता को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अवैध खनन से कृषि भूमि की गुणवता को समाप्त कर कृषि का उलंघन किया है इसलिये इनकी खातेदारी निरस्त कर एवं खातेदारी से बेदखल कर म्पूर्ण आराजी को राजहक में लिया जावें।

राजपेरोकार कि बहस एवं संलग्न पत्रावली रेकर्ड से स्पष्ट होता है की प्रतिवादीगण अपनी ातेदारी की 23.10 आराजी में से खनिज पदार्थ का अवैध दोहन कर कृषि भूमि की गुणवता ाप्त कर कृषि नियमों का खुलमखुला उलंघन किया है अपनी सम्पूर्ण खातेदारी आराजी में ाहन कर अवेध दोहन का मलबा डालकर अपनी सम्पूर्ण आराजी को अकृषि योग्य बना दिया कृषि गुणवता को नष्ट कर दिया है जबकी नियमानुसार खातेदार को अपनी कृषि भूमि की ा आराजी में से कोई भी खनिज पदार्थ को बगैर अनुमति के निकालने का कोई अधिकार उक्त खातेदारी आराजी को केवल मात्र कृषि कार्य हेतु उपयोग में ही लिया जा सकता है षि भूमि का किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग लेना हो तो, इस हेतु राज्य सरकार से आज्ञा ेआवश्यक है। बगैर आज्ञा के आप किसी प्रकार का कोई भी खनिज पर्दाथ नहीं निकाल ार नहीं किसी अन्य कार्य में ले सकते है। मगर फिर भी प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजी ांधुन अवैध दोहन कर अपनी सम्पूर्ण बीघा आराजी को खोखला कर कृषि भूमि की गुणवता ूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा उक्त चोरी कर राजस्थान ा अधिनियम 1955 की खातेदारी की शर्तो की अहवेलना की है तथा धारा 177 का ा उल्लघंन किया, जो कानुनी जुर्म है।

ः उपरौक्त विवेचन से मैं इस निर्णय पर पहूँचा हूँ पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड प्रार्थी का प्रा. पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबदी की नकल, गिरदावरी संवत् 2066 से 2069, से स्पष्ट प्रतीत ी अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत ख.न. 585,603 रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी–3 नेज प्रदार्थ का अवैध दोहन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का ा उल्लघंन किया है अप्रार्थी ने उक्त अपनी आराजी में से अवैध दोहन के द्वारा खनिज कालकर सरकार के खनिज पदार्थ की चोरी तो की है जो उक्त कृत्य करना कानुनी जुर्म ोरी करना एवं कृषि भूमि को अन्य उपयोग में लेना, कृषि भूमि की गुणवता को नष्ट करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की खातेदारी की शर्तो की अहवेलना की श्रेणी में

अप्रार्थी बैकोफ होकर के खनिज पदार्थ का दोहन करना जारी रखा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता अप्रार्थी को कानून का कोई भय नहीं है जबकि जिस दिन से उक्त दावे की जानकारी तामिल ा होने पर अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में से खनिज पदार्थ का दोहन रोक देना चाहिये था । मगर

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्ण रूप से ताईद हो चुका है की प्रतिवादीगण के द्वारा खातेदारी आराजी में से बगैर आज्ञा के खनिज प्रदार्थ का दोहन कर एवं कृषि कार्य की शर्तो घंन कर कृषि भूमि की गुणवता को नष्ट कर खातेदारी के प्रावधानों का घोर उल्लघंन किया

जो कानून की दष्टि में जुर्म है जिससे अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त किया जाना अतिआवश्यक ा है क्योंकि अगर उक्त कृत्य पर भी खातेदार की खातेदारी निरस्त नहीं की गई तो अन्य रों को भी अवैध खनन करने का बढावा मिलेगा तथा बैकोफ होकर के अवैध दोहन करते , इस प्रकार कानून का भय ही आमजन में खत्म हो जायेगा और खातेदारों के द्वारा अपनी री कृषि भूमि में से अवैध खनन कर राष्टिय खनिज सम्पदा को बरबाद कर देगें।
अतः वादी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 जो अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने की ने प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया कि :–

आदेश

अप्रार्थी के खेत ख.न. 585,603 रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी–3 के नाम की खातेदारी है उक्त आराजी में से अप्रार्थी के खेत ख.न. 585,603 रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी–3 लग्न नजरी नक्शा में आसमान स्याही से डॉट डॉट में से अवैध दोहन करने का दोषी साबित से अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 177 (1) के तहत अप्रार्थी के मौजा ताडावास के खेत ख.न. रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी–3 में से नजरी नक्शा में आसमान स्याही से डॉट डॉट से ानन एवं शेष आराजी पर मलबा डालकर सम्पूर्ण आराजी को नाकाबिल काश्त करने पर की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा खनिज सम्पदा का दोहन कर राजकीय हानी है जो नियमों के विरूद्व है, अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है की अप्रार्थी के ध रूप (नजरी नक्शे में आसमानी स्याही से डॉट डॉट से अंकित के स्थान) से निकाले गये सम्पदा का आकलंन खनिज विभाग से करवाकर जुर्माना राशि तय कर, जुर्माना राशि े प्राप्त कर राजकिय कोष में जमा करावे, अगर अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि राजकीय कोष नहीं करवाता है तो अप्रार्थी की उक्त खातेदारी निरस्त कर खातेदारी से बेदखल किया क्त खसरा नबंर 585,603 की आराजी को राजहक में लिया जाकर सिवायचक घोषित किया के आदेश की पालना तत्काल की जावें। पालना कर पालना से तीन योम में अवगत

क्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार लना कर तीन योम में अवगत करावें।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

आज दिनांक 27.07.2021 को सरेइजलास सुनाया गया।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर